मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 2002 (श्रावण 8, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक-ए-5-4-2000-विक-पांच(44), दिनांक 16 अप्रैल, 2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय विश्नोई, हरिन्दरजीत सिंह (बब्बू), अंचल सोनकर, सदस्य, जबलपुर में पूर्व विधायक के परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले में भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण में अनियमितता की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के-
(क) ग्राम अड़ोखर एवं बरासों में विद्युत उप-केन्द्र स्थापित किये जाने, एवं
(ख) ग्राम बिस्वारी में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने,
(2) श्री श्याम होलानी, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पंचायत डांगराखेड़ा से ग्राम डेहरी तक सड़क बनाये जाने,
(3) श्री जुगलकिशोर, सदस्य, सतना जिले के ग्राम कोडर में अमरन नदी पर स्टाप डेम-कम-काजवे बनाये जाने,
(4) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य, राष्ट्रीय राजमार्ग (जबलपुर-नागपुर स्थित सिवनी-खवासा के मध्य) से पीपरवानी मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने,
(5) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम बहादुरपुर से बुड़कीखेरा (बजरंगगढ़) तक सड़क व पुलिया बनाये जाने,
(6) सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम बड़ागांव,बड़वारा,गुखौर एवं सिमरीदुबे में कन्या हाईस्कूल खोले जाने, तथा
(7) श्री भागवत भाऊ नागपुरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कारंजा में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. राज्यमंत्री सहकारिता का वक्तव्य

डॉ.गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, दिनांक 6 नवम्बर, 2001 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्रमांक 736) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

—2

6. वर्ष 2002-2003 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

1 घन्टा 30 मि.

"दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,39,41,42,44,45,48,50,56,57,60,63,64,65,67,72,73, 75,79,80,82,86,93 तथा 94 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ सौ छब्बीस करोड़, तिहत्तर लाख, तैंतीस हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2002 (क्रमांक 17 सन् 2002) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (शेष 50 मि.)

प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 29 जुलाई, 2002

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.